राजस्थान–सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :–प. 2 (2) रामले/स्था/2017/1360 दिनांक :– 21.6.17

–: कार्यालय आदेश :–

–: आदेश संख्या 66/2017 :–

राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा के लिये सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की विज्ञप्ति संख्या 08/परीक्षा/13–14 दिनांक 18.09.2013, शुद्धि पत्र सं0 10/2014–15, दिनांक 31.10.2014 एवं शुद्धि पत्र सं0 01/2015–2016 दिनांक 16.04.2015 के क्रम में आयोजित परीक्षा में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंसानुसार चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा परिवीक्षाधीन तहसील राजस्व लेखाकार के रूप में 02 वर्ष की कालावधि के लिये (रू. 13200/–) प्रति माह के स्थायी पारिश्रमिक पर तथा 02 वर्ष की परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात पे–बैण्ड (2) 9300–34800 में ग्रेड–पे 3600 एवं नियमानुसार अन्य देय भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी उनके पदस्थापन जिले के जिला कलक्टर कार्यालय/संबंधित कार्यालय में दिनांक 05.07.2017 तक कार्यग्रहण कर मण्डल कार्यालय को सूचित करेंगे। संबंधित जिला कलक्टर एवं अन्य कार्यालय की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके जिले/कार्यालय में आवंटित अभ्यर्थी का रिक्त पदो पर पदस्थापन आदेश जारी कर, इसकी प्रति मण्डल कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं.	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
1	212	578516	BC, WE	रितु पिता ओम प्रकाश ग्रा0पो0 कांकरेव खुर्द वाया मलसीसर तह0 मलसीसर जिला झुंझुनु पिन 331028	5/5/1992	झुंझुनू	जिला कलक्टर कार्यालय झुंझुनू	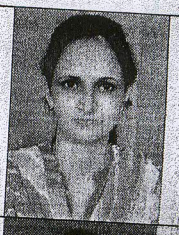
2	227	577357	BC, WE	सुमन पिता उम्मेदसिंह ग्राव डांगर पो0 आरूका तहसील सूरजगढ जिला–झुंझुनू पिन–333026	1/7/1992	झुंझुनू	जिला कलक्टर कार्यालय झुंझुनू	
3	230	861024	BC, WE	सुनील यादव पिता जगदीश प्रसाद यादव प्लॉट नं. डी–5 गणेशनगर चौधरी कॉलोनी रोड नं0 14 वी के आई एरिया हरमाडा जयपुर पिन 302013	27/9/1991	जयपुर	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	
4	251	845307	ST ,WE	मीरा बाई मीना पिता श्री हरिसिंह मीना, ग्राम पोस्ट भीलापाडा, तहसील नादौती, जिला करौली, राज0 पिन– 322215	5/7/1992	करौली	जिला कलक्टर कार्यालय करौली	

मेरिट क्रमांक	रोल नं.	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
266	492545	SC, WE	अनिता कुमारी जीनगर पिता श्री राजेन्द्र कुमार जीनगर द्वारा भगवानदास सोनगरा 1/145, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर, राजस्थान	31/10/1989	बीकानेर	जिला कलक्टर कार्यालय बीकानेर	

उपरोक्त अभ्यर्थियों की तहसील राजस्व लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही हैः–

1. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1975 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
2. अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1975 के नियम–32 (2) के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार पद का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर, परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। संस्थागत प्रशिक्षण के लिए पृथक से आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
3. अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/संबंधित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पत्र/बॉण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण–पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नही होगी।
6. अभ्यर्थी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में तीन बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्व लेखाकार होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अहर्ता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
9. अभ्यर्थी को दिनांक 05.07.2017 तक अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थता हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता से दिनांक 05.07.2017 तक अनुमति प्राप्त करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएगें।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, परिवीक्षा काल में नियत वेतन (रूपये 13200/– प्रति माह) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
11. अभ्यर्थी अस्थायी आधार पर तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प. 6 (6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.06, प. 1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06, प. 13 (1) वित्त/नियम/03 दिनांक 13.03.06 तथा 14 (1) वित्त/नियम/2013 दिनांक 08.06.15 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (रूपये 13200/– प्रति माह) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए

निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

12. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना 14 (1)वित्त/नियम/2013–।। दिनांक 28.06.13 के अन्तर्गत किया जावेगा। नियमानुसार इस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
13. परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कोई अन्य भत्ते देय नही होंगे।
14. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प. 13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.04, 27.03.04 एवं 13.03.06 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
15. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशाधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15 (1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.05 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
16. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
17. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी/अवैध पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
20. यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
21. उक्त नियुक्ति आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.05.2017 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन (under subject to the out come of civil appeal no 1464-66/2017) रहेगी एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8695/2017 दिपेन्द्र सांवल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.17 तथा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खन्डाल बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.17 तथा उक्त पदों के संबंध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन अन्य याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक : सम/1361–1369 दिनांक: 21.6.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव , राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त/आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर/इ.गां.न.परियोजना बीकानेर :–

i. कृपया उनके जिला/कार्यालय में नव–नियुक्त तहसील राजस्व लेखाकारों को उनके अधीनस्थ रिक्त पदों पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, पदस्थापित कर मण्डल कार्यालय को सूचित करावें। साथ ही उनके कार्यभार ग्रहण करने की प्रति मण्डल कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

ii. नव–नियुक्त तहसील राजस्व लेखाकारों को उनके कार्य ग्रहण करने की दिनांक से एक सप्ताह तक जिला स्तर पर सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–I/सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–II जो भी उपलब्ध हो, के पर्यवेक्षण में तहसील राजस्व लेखाकार पद की प्रारम्भिक कार्य प्रकिया की जानकारी से उन्हें अवगत कराने के बाद ही कार्यभार सुपुर्द करें।

iii. जो अभ्यर्थी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति पर है, से निर्धारित प्रपत्र में अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भी भरवाया जाकर मण्डल कार्यालय को भिजवाया जावे।

4. श्री ..... को आदेशानुसार पालनार्थ।
5. आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

अति.निबंधक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर